रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082023-248113
CG-DL-E-16082023-248113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3502] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 2023/श्रावण 25, 1945
No. 3502] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 2023/SHRAVANA 25, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2023

का. आ. 3661(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170(3) के उपबंधों के अधीन, संसद् ने परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) अधिनियमित किया था तथा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को पुनः समायोजित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था ।

और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को, का.आ 283-286, तारीख 8 फरवरी 2008 द्वारा, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क के निबंधनों के अनुसार जारी राष्ट्रपतीय आदेशों द्वारा आस्थगित कर दिया गया था।

और परिसीमन आयोग ने परिसीमन संबंधी कार्य पूरा कर लिया था तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के सिवाय सभी राज्यों के संबंध में, परिसीमन आदेश, 2008 को अधिसूचना संख्यांक का.आ 382 (अ), तारीख 19 फरवरी 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था ;

और राष्ट्रपति का, अधिसूचना संख्यांक का.आ 903, तारीख 28 फरवरी 2020 द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि वे परिस्थितियां, जिनके कारण असम राज्य में परिसीमन संबंधी कार्य को आस्थगित कर दिया गया था, अब विद्यमान नहीं हैं, लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए असम राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को पुनः समायोजित करने के लिए अधिसूचना संख्यांक का.आ 283 (अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 को विखंडित कर दिया गया था ।

और निर्वाचन आयोग से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 8क के अनुसार असम राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का संचालन करने के लिए अनुरोध किया गया था;

और निर्वाचन आयोग ने असम राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को पूरा कर लिया है तथा का. आ. 903 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2020 द्वारा जारी राष्ट्रपतीय आदेश के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8क(5)(ङ) के अनुसरण में, अधिसूचना संख्यांक आ.सं.19 (अ), तारीख 20 जून, 2023 द्वारा अपना आदेश सं. 1 और अधिसूचना संख्यांक आ.सं. 33 (अ), तारीख 11 अगस्त, 2023 द्वारा आदेश सं. 2 जारी किया है;

अतः, अब, संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे परंतुक और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, द्रौपदी मुर्मु, भारत की राष्ट्रपति, असम राज्य के संबंध में, तारीख 16 अगस्त 2023 को, उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती हूं, जिसको निर्वाचन आयोग के अधिसूचना संख्यांक आ.सं.19 (अ), तारीख 20 जून 2023 द्वारा किए गए आ.सं. 1 और अधिसूचना संख्यांक आ.सं. 33 (अ), तारीख 11 अगस्त 2023 द्वारा किए गए आ.सं. 2 प्रभावी होंगे ।

भारत की राष्ट्रपति

[एच-11019/6/2022- विधायी.II]

डॉ. रीटा वशिष्ट, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2023.

S.O. 3661(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

WHEREAS under the provisions of article 82 and article 170(3) of the Constitution, as amended by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament enacted the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies;

AND WHEREAS the delimitation of the constituencies in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur was deferred by Presidential Orders issued in terms of section 10A of the Delimitation Act, 2002 *vide* S.O. 283-286, dated 08th February, 2008;

AND WHEREAS the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published *vide* notification number S.O.382(E), dated 19th February, 2008;

AND WHEREAS the President, *vide* Notification numbers S.O. 903, dated 28th February, 2020, being satisfied that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Assam had ceased to exist, was pleased to rescind the notification number S.O. 283(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Assam into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly;

AND WHEREAS the Election Commission was requested to conduct the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State of Assam as per section 8A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);

AND WHEREAS the Election Commission has completed the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State of Assam and made its Order No. 1, *vide* notification number O.N.19(E), dated 20th June, 2023 and Order No. 2, *vide* notification number O.N.33 (E), dated 11th August, 2023 in pursuance of section 8A(5)(e) of the Representation of the People Act, 1950 read with Presidential Order issued *vide* S.O. 903(E), dated 28th February, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the second proviso to article 82 and the second proviso to clause (3) of article 170 of the Constitution, I, Droupadi Murmu, President of India, hereby specify the 16th August, 2023 as the date on which the Election Commission's Order No. 1, made *vide* notification number O.N.19(E), dated 20th June, 2023 and Order No. 2, made *vide* notification number O.N.33 (E), dated 11th August, 2023 in respect of the State of Assam, shall take effect.

PRESIDENT OF INDIA

[H-11019/6/2022-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.08.16 13:17:07 +05'30'